

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक  
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

103 / 2016  
20-6-2016

प्रहलाद पुत्र रामपाल जाट निवासी ग्राम-हाडीकलां तहसील पीपलू जिला-टोंक  
-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला- टोक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार पीपलू दिनांक 8-6-2016

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 9-12-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 8-6-2016 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.06 है, वाके ग्राम हाडीकलां तहसील पीपलू में राजकीय भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कुस को बुरवाने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्षों पुराना कुआ खुदा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर गलत रिपोर्ट दी गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत मौका नहीं दिया है। अपीलान्ट ने काफी धन खर्च करके व मेहनत करके अपने खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से कुआ निर्मित करवाया है तथा भूमि खसरा नम्बर 160 व 1665 में सिंचाई करता आ रहा है, उक्त चाह के अपीलान्ट के मालिकाना हक हो चुके हैं क्योंकि उक्त चाह 40-50 साल से बना हुआ है। यदि अपीलान्ट को उक्त चाह से बेदखल करने तथा बुरवाने पर अपार हानी होगी तथा इसके सिंचाई का साधन समाप्त हो और फसल की पेदावार नहीं हो सकेगी अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमान जाकर



जिला कलेक्टर  
टोंक

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8-6-2016 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्त के पक्ष में उक्त चाह के सम्बन्ध में नियमन सम्बन्धी कार्यवाही करने का न्यायोचित आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.06 है,वाके ग्राम हाडीकलां में राजकीय बंजड़ भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त की है ओर कच्चा कुआ खुदवाकर अतिक्रमण किया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1/16 दिनांक 8-6-2016 से कुआ बुरवाकर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर अपीलान्त ने उक्त राजकीय भूमि में कुआं खुदवाकर सिचाई करना भी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.06 है,वाके ग्राम हाडीकलां में राजकीय बंजड़ भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त की है ओर कच्चा कुआ खुदवाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त द्वारा कुआ 40-50 साल पूर्व का होना अंकित किया है इस तथ्य की पुष्टि में न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 130 दिनांक 20-1-2017 से उपखण्ड अधिकारी पीपलू से मौका रिपोर्ट/जॉच रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने अपने पत्र क्रमांक 935 दिनांक 10-2-2017 से मय नक्शा ट्रेस,खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के जॉच रिपोर्ट प्रेषित की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपीलान्त प्रहलाद पुत्र रामपाल जाट निवासी ग्राम-हाडीकलां द्वारा प्रथम बार संवत 2072 में गेहूँ की फसल काश्त कर व संवत 2073 में एक नवीन कच्चा चाह बना लिया है। उक्त आराजी पक्की सड़क सोहेला से डिग्गी मार्ग पर स्थित है, उक्त भूमि में ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत हाडीकलां द्वारा अनाज गोदाम बनाने हेतु प्रस्ताव लिया गया था तत्पश्चात प्रहलाद द्वारा नवीन कच्चा चाह बना लिया है। उपखण्ड अधिकारी पीपलू की रिपोर्ट से स्पष्ट अंकित हे कि अपीलान्त द्वारा मुख्य सड़क के पास बेशकमेती सरकारी भूमि पर कब्जा करने की नीयत से चाह का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 8-6-2016 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर टोक  
टोक